लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/नवीन शैक्षणिक संवर्ग/2019/357 भोपाल,दिनांक 19-8-19

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय– ऑनलाईन स्थानान्तरण/संशोधन/निरस्तीकरण के संबध में।

विषयान्तर्गत संचालनालय द्वारा जारी किये गये ऑनलाईन स्थानान्तरण आदेश के अनुक्रम में शिक्षक संवर्ग के लोक सेवक स्थानान्तरण संशोधन, निरस्तीकरण के आवेदन लेकर बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के संचालनालय में उपस्थित हो रहे है। बडी संख्या में शिक्षकों के संचालनालय में उपस्थित होने से विद्यालयों में अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहा है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि संकुल प्राचार्यो के माध्यम से समस्त शिक्षकों को अवगत कराये कि बिना अनुमति के शिक्षक संचालनालय में उपस्थित न हो, अन्यथा संबधित शिक्षक के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

शिक्षकों के ऑनलाईन स्थानान्तरण/कार्यमुक्ति/पदभार ग्रहण से संबधित समस्याओं का परीक्षण जिला स्तर से किया जाकर प्रकरण का निराकरण किया जाये, यदि संचालनालय स्तर से प्रकरण का निराकरण किया जाना है तो अपने अभिमत सहित प्रस्ताव संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे इसी प्रकार संबधित शिक्षक का संचालनालय में उपस्थित होना आवश्यक हो तो उसे अनुमति प्रदान करने के उपरांत ही संचालनालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करे।

(गौतम सिंह)
संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृष्ठा. क्रमांक/नवीन शैक्षणिक संवर्ग/2019/ 358 भोपाल,दिनांक 19-8-19

प्रतिलिपि–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।
3. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।

संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश